



## भारत सरकार का आत्मनिर्भर अभियान के द्वारा कृषि क्षेत्र की विकास की संभावना

डॉ. गोपाल रामकृष्ण तडस

प्राचार्य

श्री. आर. आर. लाहोटी विज्ञान महाविद्यालय, मोशी जिल्हा अमरावती.

### प्रस्तावना :

भारत कृषि प्रधान देश है। भारत स्वतंत्रता के समय, देश की अर्थव्यवस्था में भारत की आबादी का ८० टक्के हिस्सा और कृषि क्षेत्र का ५० टक्के हिस्सा था। भारत सरकार की औद्योगिक नीति और बदलते समय के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के प्रभुत्व में लगातार गिरावट होने के बावजूद, आज भी, ग्रामीण क्षेत्र की जनता आज भी रोजगार उपलब्धी के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। यद्यपि औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था का ८० टक्के से अधिक हिस्सा है, लेकिन भारतीय जनसंख्या की, केवल ४० टक्के आबादी इन दो क्षेत्रों पर अवलंबित है। इससे अधिक की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसी समय, औद्योगिक क्षेत्र में कच्चे माल की आपूर्ति की जिम्मेदारी कृषि अर्थव्यवस्था के साथ टिकी हुई है। कृषि के बाद, कपड़ा उद्योग को भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोजित माना जाता है। इस उद्योग के लिए आवश्यक कपास की आपूर्ति कृषि क्षेत्र से की जाती है। यदि प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से कृषि उद्योग संकट में है, तो इसका असर औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों पर भी पड़ता है।

### समिक्षा का उद्देश

- भारतीय कृषि क्षेत्र की, मुलभूत समस्या का अध्ययन करना।
- भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र की विकास के लिए ले गए निर्णयों की समीक्षा करना।
- भारत सरकार के निर्णय के कारण कृषि अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों का एक अध्ययन करना।

### कृषि क्षेत्र की, मुल समस्याएं ।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग ५८ टक्के आबादी खेती पर निर्भर है। खेती करना सबसे अच्छा कार्य माना जाता है। लेकिन आज हम अपने देश की हालत पर नजर डालें तो आजीविका के लिए निश्चित रूप से खेती सबसे अच्छा कार्य नहीं रह गया है। हर दिन देश में लगभग २००० किसान खेती छोड़ देते हैं और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो खेती छोड़ देना चाहते हैं। देश में पिछले कई साल से हर साल हजारों किसान निराश होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो गए



है। पिछले कई साल से ग्रामीन क्षेत्रों में खेती मौजूदा स्थिति को लेकर एक खतरनाक आक्रोश बन रहा है। कभी छत्तीसगढ़ के किसान सड़क पर टमाटर फेंक देते हैं तो कभी कर्नाटक व देश के कई हिस्सों में किसान प्याज सड़कों पर फेंकने पर मजबूर हो जाते हैं। हरियाणा से किसान को आलू ९ पैसे प्रति किलो बिकने की खबर आती है। तो महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश में फल सब्जिया व दूध सड़कों पर बहाकर किसान आंदोलन करते हैं। आज हमारे देश में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां से किसान की दुर्दशा की खबरे न आती हों। खेती किसानों की इस दुर्दशा के मूल कारणों की पड़ताड करना जरूरी है। आखिर क्या वजह कि आज का किसान की स्थिति चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु जैसी नजर आ रही है। किसान की समस्या निरीक्षण करते समय निम्नलिखित समस्या महत्वपूर्ण है।

### **लागत खर्च की बढ़ती**

पहिले किसान घरके ही बीज और घर के ही खाद इस्तेमाल करते थे। इसकी वजह से लागत खर्च कम था। अभी जादा पैदावार के लिए संशोधित बीज, पेस्टिसाइड आदि पे होनेवाले खर्चे बढ़ गये हैं। उच्च गुणवत्तायुक्त बीज सही दामों में किसान को उपलब्ध हो पाना एक बड़ी चुनौति रहती है। महंगे बिकने वाले पेस्टिसाइड से कीटों पर नियंत्रण होता है, फसलों की उत्पादकता बढ़ जाती है। पर जैविक या प्राकृतिक खेती की अपेक्षा से रासायनिक खेती पर होनेवाला किसान का खर्चा बढ़ाने के कारण उत्पाद की बढ़ती होने की बावजूद किसान को मिलनेवाला आर्थिक लाभ में घट हुई है।

### **बढ़ता कर्ज का जाल**

खेती का लागत खर्चा बढ़ने के कारन किसान पर कर्ज का बोझा बढ़ गया है। एक बार किसान कर्ज के चंगुल में फंसता है तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। विशेषकर वे किसान जो साहूकारों से बहुत ही उची ब्याज दर (३६ टक्के – १२० टक्के प्रति वरि) पर ब्याज लेते हैं। किसानों की आत्महत्या में ना चुकाया जाने वाला बैंको व साहूकारों का कर्ज एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनता है। कृषि क्षेत्रों में नए निवेश में कमी हुई है। कृषि में निवेश करना अन्य वेंचरों में निवेश की तुलना में कम लाभदायक होता है। अन्य क्षेत्रों में निवेश कृषि की बजाय उच्च रिटर्न देने वाले सिद्ध होते हैं। परिणाम स्वरूप कृषि में निवेश में कमी हुई है और इस क्षेत्र का नुकसान हुआ है।

### **मानसून पर निर्भरता**

भारत में अधिकांश कृषि क्षेत्र असिंचित होने के कारण कृषि क्षेत्र में समग्र विकास के लिए मानसून महत्वपूर्ण है। बीज बोने का पैटर्न इमेशा उस क्षेत्र के मानसून पर निर्धारित होता है। नैसर्गिक बदलाव के कारन खराब मौसम के कारण खेती पर बहुत बुरा असर पडता है और किसानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पडता है। ऐसी ही स्थिति खरीप फसलों के उत्पादन



और उपज में भी उत्पन्न होती है। बे मौसम बारिश, ओला वृष्टि, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि से फसलों के नुकसान की स्थिति में किसानों को तत्काल व समुचित राहत पहुंचाने में हमारे देश का तंत्र व व्यवस्था प्रभावी साबित नहीं हो पाई है।

### फसल के दाम भारी अनिश्चितता

पिछले कई सालों से खेती करने की लागत जिस तेजी से बढ़ती जा रही है। उस अनुपात में किसानों को मिलने वाले फसलों के दाम बहुत की कम बढें है। सरकार की हरसंभव कोशिश रहती है की फसलों के दाम कम से कम रहें, जिससे मंहगाई काबू में रहे। लेकिन सरकार उसी अनुपात में फसलों को उपजाने में आने वाली लागत को कम नहीं कर पाती। इससे किसान बीच में पिस जाता है और देश की जनता को सस्ते में खाना उपलब्ध कराने की सारी जिम्मेदारी एक किसान के कंधों पर डाल दी जाती है। इसका परिणाम हम सब किसान पर कभी ना खत्म होने वाले बढते कर्जे के रूप में देखते है।

फसलों के मूल्य निर्धारण के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान है पर कई बार खुद सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य ही किसान की लागत से भी कम घोषित किया जाता है। इसको कर्नाटक के एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जहां कर्नाटक एग्रीकल्चर प्राईस कमीशन द्वारा २०१४-१५ की मुख्य फसलों में अध्ययन में ये सामने आया कि लगभग हर फसल का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल की लागत से भी कम था और किसानों को लगभग हर फसल में नुकसान उठाना पडा। हमने यहा भारतीय कृषि से जुडी लगभग सभी समस्याओं का विश्लेषण किया है।

फसल	केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य २०१५-१६ (रूपये/क्विंटल)	उत्पादन लागत (रूपये/क्विंटल)	प्रति एकड लाभ
धान	१,४५०	१,६७१	-३,७६८
रागी	१,६५०	२,७८१	-१४,३८०
सफेद ज्वार	१,५९०	२,९२२	-३,२६०
मक्का	१,३२५	१,४२५	-३,८४२
बाजरा	१,२७५	२,३२४	-६,९३६
बंगाली चना	३,५००	४,९६३	-५,६२१
मुंगफली	४,०३०	६,१८६	-८,१९६
सूरजमुखी	३,८००	४,४१६	-५,२१४
सोयाबिन	२,६००	३,६४७	-३,२०८
टमाटर	समर्थन मूल्य नहीं	१,०८९	-४८,७२३
प्याज	समर्थन मूल्य नहीं	१,०२१	१७,४१७
आलू	समर्थन मूल्य नहीं	१,९०६	-२७,९६०
कपास	३,८००	४,५२८	-५,६८४

स्त्रोत : कर्नाटक एग्रीकल्चर प्राईस कमीशन



इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आज एक किसान हमारी प्लेट में आने वाले खाने को सब्सिडी दे रहा है, जिससे की मुझे और आपको सस्ता खाना उपलब्ध हो पा रहा है। इससे सरकारों का महंगाई को नियंत्रण में रखने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। कृषि विशेषज्ञ देविंदर तर्मा के अनुसार देश में सिर्फ 6 टक्के के करीब किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ ले पाते और बाकी के 94 टक्के किसान बिना किसी न्यूनतम समर्थन मूल्य के ही फसल उत्पाद बेचते हैं। किसान की स्थिति ये है कि अगर खराब उत्पादन होता है तो भी किसान का नुकसान होता है। अगर ज्यादा उत्पादन हो जाता है तो फसलों के दाम गिर जाते हैं और तब भी किसान घाटे में रहता है।

### भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत कृषि योजना

कोरोना के कारण भारत में मंदी की अवस्था निर्माण हुई। इस अवस्थामें फसी हुई स्थिति को बाहर निकालने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीने आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत तीसरे चरण में, कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई। इन घोषणाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों, मछुआरों और डेअरी क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। इसमें निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं।

### कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना

- कृषि अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। इसे कृषि उत्पाद के लिए कोल्ड चेन, पोस्ट फसल प्रबंधन की सुविधा होगी। इससे किसान के कृषि उत्पाद को तत्काल बाजार मिलेगा। कोरोना अवधि के दौरान लॉकडाउन के कारण परिवहन बंद था। केवल किसानों को कृषि उपज का परिवहन करने की अनुमति थी। परिणामस्वरूप, किसानों की आय का प्रवाह जारी रहा।
- बिहार में मखाना, उत्तर प्रदेश के आम, जम्मू और कश्मिर के केसर, पूर्वोत्तर के बांस, आंध्र प्रदेश की मिर्च आदि के लिए क्लस्टर आधारित नीति की घोषणा की गई है। इस उत्पाद की वैश्विक मांग के कारण, यह योजना किसानों को अपनी उपज सीधे आंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का अवसर प्रदान करेगी।
- फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए 50 टक्के अनुदान दिया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज सहित अन्य गोदामों के लिए लिए 50 टक्के अनुदान। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है।

### खाद्य प्रसंस्करण उद्योग



कृि उत्पाद सब्जियां, फल, मछली और दूध जैसे उत्पाद अल्पकालिक है। इसलिए भारत सरकार ने इस योजना के तहत इस उत्पाद को संसाधित करने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। माक्रो फुड एंटरप्राइजेस के लिए १०,००० करोड़ रुपये की फंड स्कीम है, जो क्लस्टर आधारित होगी। रात भर में २ लाख खाद्य प्रसंस्करण को फायदा होगा। इस योजना से न केवल किसान बल्कि अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे। इसमें निम्नलिखित कृि उत्पादों पर आधारित निम्नलिखित उद्योग शामिल है।

### **मत्स्य उद्योग**

भारत सरकार ने मत्स्य सम्पदा योजना लागू कर दिया गया है और इस योजना से ५० लाख लोगों को रोजगार देने और भारत सरकार के निर्यात को बढ़ावा देने की उम्मीद है। मछली पालन को बढ़ाने के लिए मछुआरों को जहाज और नसब बीमा दिया जाएगा। इसे उम्मीद है कि आनेवाले ५ वर्षों में ७ मिलियन टन अतिरिक्त मछली का उत्पादन होगा। मछली पकड़ने के बंदरगाह, कोल्ड चेन, बाजार आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए १००० करोड़ ₹ खर्च करने भारत सरकारने योजना जारी की है। इस योजनासे ५५ लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

### **पशुधन क्षेत्र के लिए योजना**

पशुपालन कृि आधारित माध्यमिक और कृि अनुपूरक उद्योग है। किसान पशुधन रखते हैं लेकिन, उपचार के अभाव में, कई पशुधन मर जाते हैं। जानवरों को कई जानवरों की बिमारीयों का टीकाकरण नहीं मिलता है। राम के कारण किसान पीड़ित है। सभी जानवरों को टीका लगाने के निर्णय की घोषणा की गई है। टीकाकरण पर १३,३४३ करोड़ रुपये खर्च होंगे। रात भर में ५३ करोड़ पशुधन को बिमारी से छुटकारा मिल जाएगा। पशुपालन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए १५,००० करोड़ ₹ का कोष उपलब्ध कराया जाएगा। पशुपालन सुविधा विकास कोष का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से डेअरी प्रसंस्करण, प्रजनन और पशु आहार संबंधी सुविधाओं में निजी निवेश को बढ़ाया जाएगा। साथ ही, निरत परियोजना के लिए एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

### **हर्बल खेती योजना**

आयुर्वेद दुनिया के लिए भारत का उपहार है। भारत सरकार ने हर्बल खेती के लिए एक विशेष योजना के तहत अगले दो वर्षों में १० लाख हेक्टर भूमि पर हर्बल खेती की जाएगी। अनुमान है कि किसान हर्बल खेती से ५,००० करोड़ रुपये कमाएंगे। कोरोना अवधि के दौरान दुनिया भर में आयुर्वेद की मांग बढ़ी है। इससे भारतीय जड़ी बुटियों की मांग बढ़ गई है। भारत सरकार की योजना है कि १० लाख हेक्टर के औषधीय पौधों में औषधीय पौधे लगाए जाएं ताकि किसान



पारंपारिक उत्पादों के साथ-साथ हर्बल उत्पाद भी ले सकें। वन जडी बूटियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ४,००० करोड़ रुपये का निवेश करने का निर्णय लिया गया है और राष्ट्रीय हर्बल वन बोर्ड की मदद से २.२५ लाख हेक्टर भूमि पर वनीकरण किया जाएगा।

### **मधुमक्खी पालन उद्योग**

मधुमक्खी पालन कृषि के लिए पूरक उद्योग है। भारत सरकार ने २ लाख मधुमक्खी पालकों के लिए ५०० करोड़ रुपये की दैनिक मजदूरी की घोषणा की है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्राहक का उत्पाद भी बढ़ेगा।

### **ऑपरेशन ग्रीन**

भारत सरकारने ५०० करोड़ रुपये की लागत से ऑपरेशन ग्रीन के तहत भारत सरकार द्वारा प्रतिदिन टमाटर, आलू, प्याज और अन्य सब्जियों का उत्पादन किया जाएगा। कोरोना द्वारा क्षतिग्रस्त टमाटर, प्याज, आलू, फल, दालों और खराब कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला सहायता प्राप्त होगी और 'ग्रीन प्रोइंग अभियान' (ऑपरेशन ग्रीन्स) अगले छह महीनों के लिए पायलट आधार पर आयोजित किया जाएगा। इसके लिए ५० फीसदी सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन के लिए दी जाएगी ५० फीसदी स्टोरेज के लिए।

### **कृषि निवेश और उत्पादकी बिक्री**

कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और निवेश को बढ़ाने के लिए १९५५ के कमोडिटी अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। जिससे के तहत अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, आलू और प्याज को अधिनियम से छूट दी जाएगी। केवल एक जिससे किसानों को अपनी उपज को अपने मूल्यों पर बेचने में मदद मिल सके, जिससे ई-ट्रेडिंग की सुविधा मिल सके। किसानों को अपनी उपज को आकर्षक किमतों पर दूसरे राज्यों में बेचने की इजाजत मिलेगी। साथ ही, कृषि उत्पादों के ई-ट्रेडिंग की संरचना को सुव्यवस्थित किया जाएगा और इससे किसान एपीएमसी के अनुसार अपनी उपज को लाइसेंसधारियों को बेच सकेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है।

### **निष्कर्ष**

आज, भारत की अकुशल क्षेत्र को सबसे जादा रोजगार देनेवाला कृषि क्षेत्र समस्याओंसे घेरा है। कृषि क्षेत्र की सभी समस्या एकही दिन में निर्माण हुई नहीं है की जे एकही दिनमें समाप्त हो जायेंगे और किसानों की आय दुगुनी हो जायेगी। केवल सरकार ही इस समस्या पर इलाज नहीं कर सकती। किसानोंने भी अपनी समस्यामें बदलाव लाने के दृष्टि से



खूद का रास्ता खोजना चाहिए। पचास सालमें कृषि क्षेत्र छोडकर सभी क्षेत्रों का आधुनिकीकरण हुआ है। लेकिन कृषि क्षेत्रमें आज भी परंपरागत तरीके से की जाती है। इस क्षेत्र में मेहनत जादा और मुनाफा कम होने की वजहसे शिक्षित युवा इस क्षेत्र में अपना करिअर बनाने के लिए तयार नहीं है। इस कारण आधुनिकीकरण वेग कृषि क्षेत्र में सबसे कमी है। भारत सरकारने आनेवाले २०२४ तक किसानों की आय दुगुनी करने का निर्णय लिया है। भारत कृषि क्षेत्र में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती है। ये सभी समस्याएं एक दिन में नहीं बनती है, वे एक दिन में दूर हो जाएंगी। भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, कृषि क्षेत्र को एक बेहतर दिशा मिल रही है। इसके अलावा, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन ने किसानों को भारत में और अपनी इच्छा से कहीं भी अपनी उपज बेचने का अधिकार दिया है। इसके अलावा, अगर समझौते का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो किसान को न्याय मांगने का अधिकार है। भारत सरकारने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत घोषित की हुई योजनासे किसानों की आय में वृद्धि होनेकी संभावना है। लेकिन इस योजना का लाभ सभी किसानोंने लेना चाहिए।

### संदर्भ सूची

१. भारतीय अर्थव्यवस्था – लेखक रमेशसिंग (हिंदी आवृत्ती)
२. झामरे, डॉ. जी.एन – भारतीय अर्थव्यवस्था, पिंपळापूरे प्रकाशन, नागपूर. पहिली आवृत्ती २०१६.
३. भारतीय अर्थव्यवस्था – लेखक देसाई आणि निर्मल भालेराव प्रगती प्रकाशन, पुणे.
४. भोसले व काटे – जागतिक अर्थव्यवस्था, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर आवृत्ती २०००.
५. झामरे, डॉ. जी.एन. – भारतीय अर्थव्यवस्था विकास व पर्यावरणात्मक अर्थशास्त्र.
६. वृत्तपत्रातील लेख आणि वेबसाईटवरील लेख.